शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन

1134. **श्री शिव चरण सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है; यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या-क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारी शिक्षा नीति ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; यदि नहीं, तो शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या हमारी शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को भी सम्मिलित किया जायेगा जिनसे श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो सके ; और

(घ) क्या लार्ड मैकाले की पुस्तकीय ज्ञान और शासन-सेवा पर आधारित शिक्षा प्रणाली को बदले जाने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०) 1986 के आधार पर निर्मित तथा इसके द्वारा दिशा-निर्देशित है । सरकार का यह अभिमत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०), 1986 समय की कसौटी पर खरी उतरी है । शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण क्षेत्र की गहन समीक्षा पर आधारित तथा राष्ट्रीय जनमत के आधार पर निर्मित इस दिशा नीति में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों के विकास को दिशा-निर्देशित करने के लिये एक वृहत ढांचा है । यह ढांचा आज भी प्रासंगिक है । तथापि गत कुछ वर्षों में हुई प्रगति तथा नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के कारण इसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया था । इन संशोधनों को 7 मई, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

यह कहना सही नहीं है कि शिक्षा नीति से बेरोजगारी बढ़ी है । रोजगार में वृद्धि पूर्णतया अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर है । शिक्षा किसी भी रूप में रोजगार सृजित नहीं करती है । शिक्षा अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न स्तरों के लिये जन-शक्ति का विकास करती है । 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यक्तिगत रोजगार की संभावना में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा पर पहले ही पर्याप्त बल दिया गया है । अध्ययन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव प्राप्त करने पर भी बल दिया गया है। सामाजिक और नैतिक मूल्य सृजित करने के लिये शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाने हेतु पाठ्यचर्या को पुनः अभिकल्पित करने की आवश्यकता नीति में स्वीकार की गई है । इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में श्रम की श्रेष्ठता की भावना पैदा करने वाले रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति के सभी संभावित पहलुओं को पहले से ही शामिल किया गया है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12 1991 तक शिक्षित (हाई स्कूल और इससे ऊपर) नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों की संख्या बेरोजगारी के मौजूदा रजिस्टरों में 2.24 करोड़ थी ।

Criteria for opening Kendriya Vidyalayas

1135. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the criteria for opening Kendriya Vidyalayas;

(b) what is the number of Kendriya Vidyalayas as well as students in Rajasthan; and

(c) whether it is a fact that Rajasthan has been discriminated against, whereas Madhya Pradesh and Eastern States has been given priority in the matter of opening Kendriya Vidyalayas; if so, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) For catering primarily to the educational needs of transferrable Central Government employees in Defence and Civil sectors, the Sangthan opens Kendriya Vidyalayas, if the proposals are sponsored by the concerned Ministry/Department of Government of India/Union Territories Administrations/State Government or Organisation of employees belonging to eligible categories offering the following facilities:—

(i) 15 acres of land, free of cost or on nominal cost.

(ii) Temporary accommodation to run the Kendriya Vidyalaya till the Sangathan is able to construct its own accommodation.

(iii) Provision of residential accommodation to atleast 50 per cent staff.

Besides, Kendriya Vidyalayas are opened in Project Sector also, in places of Public Sector Undertakings of Government of India and Institutions of Higher Learning if;

(i) Adequate number of children are available.

(ii) Infrastructure facilities as above with 100 per cent residential accommodation to the staff of Kendriya Vidyalayas are available.

(iii) The undertaking/Institution agrees to meet the recurring and non-recurring expenditure on the Vidyalaya.

(b) The number of Kendriya Vidyalaya in the State of Rajasthan is 44 and the number of students as on 31-1-1993 is 30428.

(c) Kendriya Vidyalayas are not opened State-wise. Therefore, no discrimination is made as between States in the opening of Kendriya Vidyalayas in accordance with the criteria laid down.

Recruitment of teachers in Kendriya Vidyalayas

1136. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of the criteria for shortlisting applications for recruitment to the posts of different categories of teachers of Kendriya Vidyalayas;

(b) whether it is a fact that these criteria in respect of one category of teachers have since been amended; and

(c) if so, the details of the amendment made, the level at which it had been ordered and justification thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI) SELJA): (a) Applications for various categories of teaching post were shortlisted in 1993 on the basis of a weightage scale for converting academic and professional achievements/qualifications of the candidate. A statement showing the weightage scale adopted for the purpose is attached as Annexure. (*See* Appendix CLXIX, Annexure No. 29).

(b) and (c) For the purpose of post Graduate Teacher, the weightage for academic achievements/qualifications has been relatively enhanced by the competent authority in order to provide for more emphasis on the competence and knowledge of the candidate in the subject area.

Selection of Post Graduate Teachers at Kendriya Vidyalayas

1137. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: